

के-15017/01/2015-एससी-I

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 01 सितम्बर, 2015

सेवा में,

वेतन एवं लेखा अधिकारी (सचिवालय)
शहरी विकास मंत्रालय
निर्माण भवन,
नई दिल्ली

विषय: नामची नगरपालिका के संबंध में स्मार्ट शहर मिशन (एससीएम) मार्गनिर्देशों के अंतर्गत स्मार्ट शहर प्रस्ताव (एससीपी) तैयार करने के लिए सिक्किम राज्य की सरकार को अग्रिम के रूप में 2,00,00,000/- रुपए जारी करना।

महोदय,

मुझे एससीएम मार्गनिर्देशों के पैरा 12.1 के संदर्भ में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय (एएंडओई) के लिए राज्य निधियों के भाग के रूप में नामची नगरपालिका के संबंध में स्मार्ट शहर मिशन (एससीएम) मार्गनिर्देशों के अंतर्गत स्मार्ट शहर प्रस्ताव (एससीपी) तैयार करने के लिए सिक्किम राज्य की सरकार को अग्रिम के रूप में 2,00,00,000/- रुपए (केवल दो करोड़ रुपए) जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृती सूचित करने का निर्देश हुआ है।

2. अग्रिम धनराशि एएंडओई निधियों में राज्य के हिस्से से जारी की जाएगी और पहली किस्त जारी करते समय इसका समायोजन शहर के हिस्से में किया जाएगा।
3. उपर्युक्त स्वीकृती निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:
 - i) स्वीकृती जीएफआर, 2005/एससीएम मार्गनिर्देशों के उपबंधों के अनुरूप विनियमित की जाएगी।
 - ii) सिक्किम राज्य की सरकार एससीएम के संबंध में पृथक खाता रखेगी।
 - iii) राशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गई है।
 - iv) सिक्किम राज्य की सरकार एससीएम मार्गनिर्देशों में दिए अनुसार निर्धारित प्रपत्र में जारी की गई निधियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र शीघ्र प्रस्तुत करेगी।
4. यह एससीएम मार्गनिर्देशों के अंतर्गत सिक्किम राज्य की सरकार को पहला मोचन है। इस संदर्भ में, अपेक्षा के अनुसार स्वीकृती आदेश में उल्लिखित राज्यों के संबंध में कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित नहीं है।
5. चेक सचिव, वित्त विभाग, सिक्किम सरकार, गंगटोक के पक्ष में जारी किया जाए।

6. समाविष्ट व्यय को राज्य सरकारों को मुख्य शीर्ष 3601-सहायता-अनुदान, 04-अन्य शहरी विकास योजनाएं, 315-स्थानीय निकायों, निगम, शहरी विकास प्राधिकरणों, शहर आशोधन बोर्ड आदि को सहायता, 100 स्मार्ट शहरों के लिए 03-मिशन, 03.00.31-मांग संख्या 104-वर्ष 2015-16(आयोजना) के लिए शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत सामान्य सहायता-अनुदान से घटाया जाएगा।

7. यह तारीख 28.08.2015 की डायरी संख्या 1012/यूएस (डी-II)/एफडी/15 द्वारा एकीकृत वित्त प्रभाग की सहमति से जारी किया जाता है।

8. इस स्वीकृती को वर्ष 2015-16 के लिए स्मार्ट शहर प्रभाग (एससी-I) की स्वीकृती पंजिका की क्रम संख्या 3 पर पंजीकृत किया गया है।

भवदीय



(संजय शर्मा)


भारत सरकार के अवर सचिव

दूरभाष सं. 23062742

जारी.....

प्रतिलिपि:-

- i) सिक्किम के राज्य सरकार के मुख्य सचिव। अग्रिम राशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जायगा है जिसके लिए वह मंजूर हुई है
- ii) प्रधान सचिव (शहरी विकास), सिक्किम राज्य सरकार
- iii) नगर आयुक्त, नामची नगरपालिका
- iv) सिक्किम राज्य सरकार के महालेखाकार
- v) लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक, आर्थिक और सेवा मंत्रालय, एजीसीआर बिल्डिंग, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली - 110002
- vi) डीडीओ, शहरी विकास मंत्रालय, अनुभाग अधिकारी (प्रशासन II) निर्माण भवन, नई दिल्ली
- vii) वित्त प्रभाग, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
- viii) बजट अनुभाग, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
- ix) गार्ड फाइल/स्वीकृत फोल्डर
- x) तकनीकी सेल स्मार्ट सिटी मिशन की वेबसाइट पर इस स्वीकृति को डालें।



(संजय शर्मा)

भारत सरकार के अवर सचिव